संख्या- 281 / 2025 / 2188 / चार-2025-1924029

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
कैसरबाग, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष-2025-26 के प्राविधानित बजट के अन्तर्गत संरक्षित स्मारक/ स्थलों पर सांस्कृतिक सूचना पट्ट स्थापन के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 662/प्रथम-79 वृहद अनु0 (41)/2025, दिनांक 15 जुलाई, 2025 के संबंध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र दिनांक 24 जून, 2025 द्वारा प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 02 जून, 2025 को सम्पन्न अप्रेजल समिति की बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया है। अप्रेजल समिति की बैठक में उ०प्र० राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा प्रस्तुत सूचना पट्ट डिजाइनो मे से एक सूचना पट्ट के डिजाइन को अनुमोदन प्रदान करते हुये संस्तुति प्रदान की गयी है एवं अप्रेजल समिति द्वारा उ०प्र० राज्य पुरातत्त्व विभाग को संरक्षित स्मारक / स्थलों पर पत्थर के सूचना पट्ट लगाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है तथा यह निर्देश दिये गये हैं कि सूचना पट्ट समिति द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुरूप लगाये जायें जिससे उनका दीर्घ स्थायित्व बना रहे।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार 20 संरक्षित स्मारक/ स्थलों पर सांस्कृतिक सूचना पट्ट स्थापन के कार्य हेतु **रू0 19.98 लाख (रूपये उन्नीस लाख अट्ठानवे हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

3. शर्तें/ प्रतिबन्ध-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-57/18- 1-2024-97(ल0ऊ0)/2016 दिनांक 26, नवम्बर, 2024 यथासंशोधित के दिशा-निर्देशों के अनुरूप टेण्डर/ जेम पोर्टल की दरों के आधार पर न्यूनतम दरों का निर्धारण किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया जायेगा। गुणवत्ता में अधोमानक पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी पुरातत्व निदेशालय की होगी।

(4) निदेशक, पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(6) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(10) उक्त वित्तीय स्वीकृति का सम्पूर्ण उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048001700 स्मारकों का परिरक्षण एवं निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-281/2025 / 2188 (1)/चार-2025-1924029 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।